भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1740

उत्तर देने की तारीख- 15/03/2023

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

1740. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक सशक्तिकरण और पुनर्वास के संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, छात्रवृत्ति, छात्रावास और विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): सरकार अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति (कार्यनीति) के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए आबंटित कर रहे हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधियों का विवरण https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf लिंक में केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफ़ाइल 2023-24 के विवरण 10ख में दिया गया है।

(ख) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी योजना 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजातियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित कर रहा है। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत, मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक अजजा छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को बालिकाओं और बालकों के छात्रावास के निर्माण के लिए निधियां भी प्रदान की जाती हैं। 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों/लाभार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों आदि को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करता है।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को अब एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक न्यायसंगत (समान) और समावेशी अध्ययन कक्ष (कक्षा) वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण कार्रवाई के साथ स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक निर्धारकों की ओर ध्यान देते हुए लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है।

अनुलग्नक I

"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के संबंध में श्रीमती फुलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 15.03.2023 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1740 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)/प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) : जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य के बीच के अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नया रूप दिया गया है।

मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए मिशन अंत्योदय डेटा का विश्लेषण किया है और पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए जाने वाले 50% अ.ज.जा. आबादी वाले और 500 अ.ज.जा. वाले 36,428 गांवों की पहचान की है। जनजातीय उप योजना आवंटन के आधार पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं की पहचान की गई है। राज्यों को राज्य टीएसपी निधियों, जिला खनिज निधियों (डीएमएफ) और वित्त आयोग के अनुदानों से पूरक करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएमएएजीवाई के तहत, प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर भरने (गैप फिलिंग)' के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रूपये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के कार्यक्रम के तहत यह अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। ये निधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कार्यकलापों में अंतरों को पाटने के लिए अ.ज.जा. (एसटी) जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं।

(iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजना में शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य नवीन गतिविधि जैसी गतिविधियों के लिए 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी गतिविधियों के विकास की योजना शामिल है।

(iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत, मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह रु. 225/- और छात्रावासी के लिए प्रति माह रु. 525/- एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों को जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जिसके लिए निधि पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है । बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न (तरीका) 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक संस्थानों द्वारा वसूल की गई अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह रु. 230 से रु. 1200 तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जहां केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियां (अवार्ड) प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां (अवॉर्ड) अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां (अवार्ड) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष रु. 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (टॉप क्लास) स्कीम (स्नातक स्तर): इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित 246 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में स्नातक (डिग्री) और स्नातकोत्तर (पोस्ट डिग्री) स्तर पर पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है, जिनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष रु. 6 लाख से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, निर्वाह खर्च और पुस्तकों और कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एम.फिल और पीएच.डी. के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष अनु.जनजाति के छात्रों को 750 अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(ix) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 एसटी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालयों के समान होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(x) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) : जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2011 से जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (एमएफपी के लिए एमएसपी) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य एसटी एमएफपी संग्राहकों को सुरक्षा जाल प्रदान करना है।

मंत्रालय जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए ट्राइफेड और राज्य वन विकास निगमों (एसडीसी) को 100% अनुदान के साथ जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता नामक एक और योजना कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमजेवीएम की संकल्पना उपरोक्त दो योजनाओं अर्थात् 'एमएफपी के लिए एमएसपी' और 'जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' के विलय के साथ की गई है। पीएमजेवीएम अगले पांच वर्षों में गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच आदि के माध्यम से आजीविका संचालित जनजातीय विकास प्राप्त करना चाहता है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय, जहाँ टीआरआई नहीं हैं वहां टीआरआई स्थापित करने और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत के संवर्धन आदि के प्रति अपने मुख्य उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विद्यमान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, अनुसंधान और प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातीय लोगों द्वारा राज्य के अन्य भागों में एक्सचेंज विजिट (आदान-प्रदान यात्राओं) जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम, से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर शीर्ष (एपेक्स) समिति के अनुमोदन से 100% वित्त पोषण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई, बजटीय आवश्यकता के साथ समस्त वर्ष के लिए प्रस्ताव और विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हैं और इसे राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। टीआरआई व्यवस्था (सेट) के भीतर, सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान विंग आदि हैं।

(xii) जनजातीय त्योहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा: इस योजना के माध्यम से जनजातीय त्योहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा, समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म बनाना, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालते हुए तत्संबंधी प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों आदि के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को पाटने के दृष्टिकोण से, जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को जहां विशेषज्ञ मौजूद हैं और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक पहचान बनाई है, मान्यता देता है। यह परिकल्पना की गई है कि सीओई को मंत्रालय की समर्पित गतिविधियों के पूरक के रुप में एक ज्ञान-बैंक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

*****